सं. 12-3/2016-ई.III-ए
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
(ई.III ए अनुभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
20 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषयः अतिरिक्त कार्य भत्ता प्रदान किया जाना (विद्यमान देखभाल भत्ता, अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता, फ्लैग स्टेशन भत्ता, उड़ान प्रभार प्रमाणपत्र भत्ता, पुस्तकालय भत्ता, राजभाषा भत्ता एवं विशेष नियुक्ति भत्ता समाप्त किया जाना) - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार का निर्णय।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर और वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आलोक में विभिन्न भत्तों के संबंध में सरकार के निर्णय 6 जुलाई, 2017 के संकल्प सं. 11-1/2016-आईसी के तहत अब अधिसूचित कर दिए गए हैं।

2. जैसा कि 6 जुलाई, 2017 के उक्त संकल्प के परिशिष्ट-II में उल्लेख किया गया है, विद्यमान भत्ते अर्थात् देखभाल भत्ता (परिशिष्ट-II की क्र.सं. 22, जिसे इस समय इस विभाग के 22.09.2008 के का.ज्ञा. सं.7(21)/2008/ई.III(ए) के तहत संचालित किया जाता है), अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता (परिशिष्ट-II की क्र.सं. 57), फ्लैग स्टेशन भत्ता (परिशिष्ट-II की क्र.सं. 64), उड़ान प्रभार प्रमाणपत्र भत्ता (परिशिष्ट-II की क्र.सं. 65), पुस्तकालय भत्ता (परिशिष्ट-II की क्र.सं. 100), राजभाषा भत्ता (परिशिष्ट-II की क्र.सं. 136) एवं विशेष नियुक्ति भत्ता (परिशिष्ट-II की क्र.सं. 157) अलग भत्ते के रूप में समाप्त कर दिए गए हैं और पात्र कर्मचारियों पर अब नव-प्रस्तावित **अतिरिक्त कार्य भत्ता** लागू होगा।

3. तदनुसार, उपर्युक्त भत्ते समाप्त हो गए हैं और राष्ट्रपति विनिश्चय करते हैं कि पात्र कर्मचारी अब एक नये **अतिरिक्त कार्य भत्ते** में शामिल होंगे जो निम्नलिखित के अनुसार लागू होगा:

क) अतिरिक्त कार्य भत्ते का भुगतान प्रतिमाह मूल वेतन के 2% (दो प्रतिशत) की एकसमान दर से किया जाएगा।

ख) कोई कर्मचारी यह भत्ता अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त करेगा और उसी कर्मचारी को पुनः उसी प्रकार के कार्यों के लिए तैनात किए जाने से पहले न्यूनतम एक वर्ष का अंतराल होना चाहिए।

ग) इस भत्ते को जोड़ा नहीं जाएगा अर्थात् यदि वही कर्मचारी ऐसे दो या अधिक कार्यों का निष्पादन कर रहा हो और ऐसे प्रत्येक कार्य के लिए 2% (दो प्रतिशत) भत्ते के लिए पात्र हो, तो कुल देय अतिरिक्त कार्य भत्ता मूल वेतन के 2% (दो प्रतिशत) तक सीमित रहेगा।

4. विद्यमान विशेष नियुक्ति भत्ते के संबंध में, जो समाप्त हो गया है, विद्यमान पात्र कर्मचारियों के अलावा सहायक सब-इंस्पेक्टर (रेडियो मेकेनिक), सहायक सब-इंस्पेक्टर (रेडियो ऑपरेटर) और सब-इंस्पेक्टर (रेडियो मेकेनिक) को भी 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत शर्तों के साथ प्रतिमाह मूल वेतन के 2% की दर से अतिरिक्त कार्य भत्ते की पात्र कर्मचारियों की सूची में शामिल किया जाना है।

5. **ये आदेश 01 जुलाई, 2017 से लागू हैं।**

6. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग